न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)चितौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार कलाल आर.एस.एस.

प्रकरण सं0 20/2018(निगरानी पंचायत) दायर 09. 08.201

भागीरथ पिता लक्ष्मण जाति सुथार आयु वयस्क निवासी बोहेड़ा
तहसील बड़ीसादड़ी जिला चितौड़गढ़

प्रार्थी/निगराकार

बनाम

ग्राम पंचायत बोहेड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी जिला चितौड़गढ़।

विपक्षी/गैर निगराकार

निगराकार निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम1994 निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत बोहेड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.06.2004

उपस्थितः—वकील निगराकार :—श्री रमेषचन्द्र पालीवाल

निर्णय दिनांक .12.2019

उपरोंक्त अनुवान के प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील निगराकार ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्ध ग्राम पंचायत बोहेड़ा पंचायत समिति बड़ीसादड़ी जिला चितौड़गढ़ के निगरानी हेतु इस आषय का प्रस्तुत किया की अधिनस्थ ग्राम पंचायत समिति बोहेड़ा द्वारा पारित पट्टा आदेष दिनांक 05.06.2004 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थी निगराकार ने प्रार्थनापत्र इस आषय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के बपौती का आवासीय मकान आबादी हल्का बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी में अवस्थित है जिसके पड़ौस पूरब में गणेष सालवी का मकान, पष्चिम में आम रास्ता, उत्तर में —बालू सुथार का मकान, दक्षिण—नरसिंह मंदिर व प्रेमचन्द का मकान। उक्त चारों ही पड़ोंसियों के मध्य प्रार्थी का पुष्तैनी मकान अवस्थित है जिसका पट्टा लिये जाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी कर दिया। जबकि प्रार्थी का पुष्तैनी मकान होकर निगराकार पुष्तैनी पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी था। ऐंसी स्थिति में अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित पट्टा आदेष अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।निगराकार अपने पैतृक पुष्तैनी मकान पर पूर्वजों से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। पूर्व में प्रार्थी के पूर्वज निवासरत थे व उनके स्वर्गवास के पश्चात् निगराकार निवास करता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में निगराकार विवादित मकान का पुष्तैनी पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी था। फिर भी अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए निगराकार के आवेदन पर पुष्तैनी पट्टे के बजाय आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा जारी कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।अतः निगराकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया

जाकर निगराकार को पुष्तैनी पट्टा को पुष्तैनी पट्टा जारी कराये जाने का आदेष प्रदान कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकार को सूचना पत्र जारी किये गये। सूचना पत्र बाद तामिल प्राप्त। ग्राम पंचायत का रेकार्ड भिजाने हेतु विकास अधिकारी बड़ीसादड़ी को लिखा गया। विकास अधिकारी बड़ीसादड़ी ने अपने पत्र कमांक/पंचायत/सस्था/2019 /222 दिनांक 6.2.2019 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि ग्राम पंचायत बोहेडा पंचायत समिति बड़ीसादड़ी द्वारा श्री भागीरथ पिता लक्ष्मण सुथार निवासी बोहेड़ा को जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.06.2004 से सम्बन्धित रिकार्ड रोकड़बही जनरल वर्ष 2003–04 व 2004–05 की भिजवाई एवं उक्त वर्षो की रसीद बुके एवं मूल पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने का ग्राम पंचायत बोहेड़ा का पत्र प्रेषित किया। गैर निगराकार सरपंच ग्राम पंचायत बोहेड़ा ने दिनांक 14.2.2019 को प्रार्थना पत्र निगरानी का अपना जवाब प्रस्तुत किया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई । वकील निगराकार ने बहस में अपनी निगरानी में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया एवं बताया कि निगराकार का पुष्तैनी मकान होकर प्रार्थी पुष्तैनी पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है फिर भी ग्राम पंचायत ने उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए निगराकार के आवेदन पर पुष्तैनी पट्टे की बजाय आबादी भूमि का विकय विलेख का पट्टा जारी किया जो गलत है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.06.04 को निरस्त किया जावें एवं प्रार्थी/ निगराकार को पुष्तैनी पट्टा जारी किये जाने का आदेष प्रदान करावें। गैर निगराकार ने अपने पूर्व में दिये गये जवाब को ही दोहराया जिसमें निगराकार/प्रार्थी द्वारा जो निगरानी में जो तथ्य दर्षाये उनकों स्वीकार किया एवं निगराकार/प्रार्थी को जारी किये गये आबादी भूमि के पट्टे की बजाय पुष्तैनी पट्टा जारी किये जाने में कोई एतराज नही बताया एवं पुष्तैनी पट्टे जारी किये जाने का निवेदन किया।

निष्कर्ष

प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर एवं गैर निगराकार के जवाब एवं विकास अधिकारी बड़ीसादड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/निगराकार की निगरानी साबित होती है। अतः निगराकार का प्रार्थना पत्र निगरानी का स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत बोहेड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.06.04 आबादी भूमि का विकय विलेख निरस्त किया जाता हैं। सरपंच ग्राम पंचायत बोहेड़ा को आदेष दिया जाता है कि प्रार्थी/निगराकार श्री भागीरथ पिता लक्ष्मण सुथार निवासी बोहेड़ा को नियमानुसार पुष्तैनी पट्टा जारी किया जावें ।

निर्णय आज दिनांक .12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

(मुकेष कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रषासन), चितौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.12 13:15:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: